eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

महिला अधिकार–घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005

[1]डॉ रेनू सिंह
[1]सहायक प्राध्यापक, गृहविज्ञान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, राजकीय महिला महाविद्यालय झांसी

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

"यदि सभी पुरुष स्वतंत्र पैदा होते हैं, तो ऐसा कैसे है कि सभी महिलाएँ गुलाम पैदा होती हैं?"

"मैरी एस्टेल 1668–1731: विवाह पर कुछ विचार (1706 संस्करण)"

महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक, कानूनी, शैक्षणिक, मानवाधिकार और स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक) मुद्दा है। दुनिया एक नई सहस्राब्दी में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन सभ्यता के उद्भव से लेकर आज तक, भारत के पितृसत्तात्मक समाज की महिला पर अत्याचार और दुर्व्यवहार जारी है। वह आश्रित है, कमजोर है, शोषित है और जीवन के हर क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव का सामना करती है। लिंग आधारित हिंसा जो महिलाओं की भलाई, गरिमा और अधिकारों को खतरे में डालती है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय सीमाओं तक फैली हुई है।

एक पक्ष यह भी है कि भारतीय समाज सदैव नारी का सम्मान करता रहा है। हिंदू धर्म में, पुरुष और महिला दिव्य शरीर के दो हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बीच श्रेष्ठता या हीनता का कोई प्रश्न नहीं है। हिंदू इतिहास गार्गी, मैत्रेयी और सुलभा जैसी महान महिलाओं का गवाह है, जिनकी तर्क क्षमता सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं बेहतर थी। पूरे देश में सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, काली आदि अनेक देवियों की पूजा की जाती है।

महाभारत के अनुसार स्त्री की पूजा करने से वस्तुतः समृद्धि की देवी की पूजा होती है। जबकि एक स्याह पक्ष में, पितृसत्तात्मक व्यवस्था ऋग्वेद के समय से ही जारी है। रीति–रिवाज और मूल्य पुरुषों द्वारा पुरुषों के पक्ष में बनाए गए थे। जबकि महिलाएं इस भेदभाव को चुपचाप सहती रहीं हैं। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु ही महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया है। ताकि महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर, निडर बनाया जा सके। आज हम सभी सशक्तिकरण से पूर्णतः परिचय हैं।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य ही स्त्री को शक्ति प्रदान करने से है, परंतु यहां शक्ति का अभिप्राय दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करना नहीं है। बल्कि स्त्रियों में जीवन का सामना करने के लिए आंतरिक सुंदरता एवं विश्वास की भावना का विकास है ।सशक्तिकरण की प्रमुख विशेषता ही प्रत्येक स्त्री को मानवाधिकार का ज्ञान करना है।उक्त लेख में महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम एवं विभिन्न प्रकार के घरेलू हिंसा से होने वाली शारीरिक मानसिक उत्पीड़न मामले में विस्तृत चर्चा की गयी है। साथ ही घरेलू हिंसा को रोकने व महिलाओं को इस विषय में जागरूक करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

खोज बिन्दु – महिला अधिकार, घरेलू हिंसा, अधिनियम एवं लैंगिक असमानता।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

Introduction

"यर्त नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता "

नारी की स्थिति सभी समाजों में समान नहीं रही है आदिकाल से लेकर वर्तमान समाज में भी स्त्री पुरुष में असमानता भेदभाव दृष्टिगत होता है स्त्री द्वारा स्वयं को अधीनता की मौन स्वीकृति ने भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को एक महत्वपूर्ण कारण दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार देश में हर वर्ष 50 लाख कन्या को भ्रूण हत्या द्वारा खत्म कर दिया जाता है। बोर्ड परीक्षण अधिनियम पीएनडीटी 1994 में लागू किया गया। परंतु आज भी कन्या भ्रूण को गर्भपात द्वारा खत्म किया जा रहा है ।यह भी एक प्रकार का हिंसा है। महिला सशक्तिकरण के युग में भी घरेलू हिंसा के मामलों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी ही हो रही है ।जिसका एक अन्य कारण स्वयं के प्रति अधिकारों का ज्ञान ना होना भी है। भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। परंतु जागरूकता का अभाव हिंसा के मामलों को कम करने की बजाय वृद्धि ही कर रहा है।

घरेलू हिंसा से तात्पर्य शारीरिक पीड़ा, हानि या जीवन या स्वास्थ्य खतरा अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, मौखिक और भावनात्मक दुर्घटना, उपहास, गाली देना, आर्थिक क्षति करना है। व्यक्तिगत संसाधनों की उपभोग से उसे उसे वंचित करना या मानसिक रूप से परेशान करना है। यह सभी प्रत्यय हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अधिकांशत महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित होकर भी मजबूरी बस या साहस के अभाव में मजबूर है। दबाव को सहने के लिए कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें घरेलू हिंसा के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के जागरूकता का अभाव भी है। जिस कारण अधिकांशत महिलाएं स्वयं के प्रति अधिकारों से अनभिज्ञ हैं ।और घरेलू हिंसा को निरंतर सहन कर रही हैं या कभी– कभी मजबूरन आत्मघाती कदम उठाते हुए स्वयं का जीवन समाप्त कर रही हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता है महिला अधिकारों को जानने की, उन्हें समझाने की और उन्हें समाज में फैलाने की।

परिभाषा–निम्न परिभाषाओं द्वारा घरेलू हिंसा को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है –

"महिला, वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा अपराध की श्रेणी में रखा गया है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताड़ना तथा कारण शारीरिक कष्ट पहुंचाना प्रमुख है"।

राज्य महिला आयोग के अनुसार "कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा प्रताड़ना से त्रस्त है, वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी"।

घरेलू हिंसा के प्रकार

- शारीरिक हिंसा–महिला को शारीरिक रुप से नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना जैसेः– मारना, थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, लात मारना, गला घोंटना, जलाना या किसी हथियार (मंचवद) के द्वारा मारना जैसे अपराध शामिल है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

○ लैंगिक हिंसा–महिला की सहमति के बिना उसके साथ की जाने वाली यौन गतिविधि या जबरदस्ती के बारे में बताता है।

○ मौखिक हिंसा– इसके अन्तर्गत नीचा दिखाने, गलत लहजे या गंदी भाषा का उपयोग करना शामिल होता है। इसमें चिल्लाना, लगातार आलोचना करना, मज़ाक उड़ाना जैसी बातें शामिल होती है।

○ आर्थिक हिंसा–वित्तीय दुरुपयोग का अर्थ है किसी महिला की आजादी को छिनने के लिए उससे उसकी आर्थिक या पैसे की सहायता को बंद कर देना। इसमें उसको पैसे तक पहुंचने से रोकना या सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक रूप से असहाय कर देना है।

घरों की चारदीवारी के भीतर महिलाओं के खिलाफ हिंसा काफी अधिक है। घरेलू हिंसा व्यापक रूप से प्रचलित है, लेकिन काफी हद तक अदृश्य बनी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि 45þ भारतीय महिलाएं अपने पतियों द्वारा थप्पड़, लात या पिटाई का शिकार होती हैं।

महिला संरक्षण अधिनियम 2005

जब तक महिला स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक हिंसा के चक्र में निरंतर पिसती रहेंगी। भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को एक 'कभी न खत्म होने वाले चक्र' (Never & Ending Cycle) के रूप में परिभाषित किया गया है। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है ।यह 26अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था ।अधिनियम को बनाने की आवश्यकता ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है संविधान के अधीन प्रत्यय बहुत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उनसे संबंधित या उनके अनुसांगिक विषयों का उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम बनाया गया जो की 13 सितंबर 2005 को स्वीकृत हुआ और 26 अक्टूबर 2006 से यह है भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया।

- भारतीय संविधान में घरेलू हिंसा से संबंधित कुल 13 धाराएं हैं।

यह कानून घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 'साझा घर' में रहने का अधिकार प्रदान करता है, भले ही पीड़ित महिला के पति के पास घर का कोई कानूनी अधिकार न हो तथा यह घर ससुर या सास के स्वामित्व में हो।

- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 'साझा संपत्ति' को परिभाषित करती है, जो महिला के पति या संयुक्त परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में होती है और जिसमे महिला का पति भी शामिल है।

- महिलाओं के खिलाफ उन हिंसक मामलों को तत्काल प्रभाव से निपटाने की ज़रूरत है जिनका सामना वे आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन पैकेज के अभाव में भेदभाव के कई रूपों में करती हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

- ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के हितों के लिये कार्य करने वाले संगठनों एवं समुदायों को दृढ़ता से समर्थन करने की आवश्यकता है।

- अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें कार्य शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करना है:

- यह पहचानने और निर्धारित करने के लिए कि घरेलू हिंसा का प्रत्येक कार्य कानून द्वारा गैरकानूनी और दंडनीय है।

- ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा के शिकार हुए लोगों को संरक्षण प्रदान करना।

- पीड़ित व्यक्ति को समय पर, लागत प्रभावी और सुविधाजनक तरीके से न्याय प्रदान करना।

- घरेलू हिंसा को रोकना और ऐसी हिंसा होने पर पर्याप्त कदम उठाना।

- घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए पर्याप्त कार्यक्रम और एजेंडा लागू करना और ऐसे पीड़ितों की वसूली की गारंटी देना।

- घरेलू हिंसा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना।

- कठोर दंड को लागू करने के लिए और हिंसा के ऐसे जघन्य (हिनियस) कार्यों के लिए दोषियों को जवाबदेह ठहराना।

- घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों (स्टैंडर्ड) के अनुसार कानून बनाना और उसका संचालन करना।

- अधिनियम के तहत पीड़ित महिला जिन राहत आदेशों की हकदार है उनमें सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक राहत, हिरासत आदेश और मुआवजा आदेश शामिल हैं।

- यह संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है और गैर–सरकारी संगठनों को उनकी चिकित्सा जांच, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय प्राप्त करने के संबंध में दुर्व्यवहार करने वालों को सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के रूप में मान्यता देता है और इसमें शामिल करता है।

निष्कर्ष– घरेलु हिंसा निसंदेह मानव अधिकार का हनन है।जो कि मानव विकास को बाधित करता है। महिला संरक्षण अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के साथ–साथ भारतीय कानूनी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि वे अपने घर में सुरक्षित महसूस कर सकें। यह कानून का एक संपूर्ण भाग है क्योंकि यह विभिन्न अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों, पीड़ितों को उपलब्ध राहत, घरेलू हिंसा के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए कदम, घरेलू हिंसा के पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली सहायता, भारतीय न्यायपालिका की शक्ति और सीमा और केंद्र सरकार की नियम

बनाने की शक्ति को निर्धारित करता है। यह एक बहुत व्यापक और आशाजनक कानून है जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा के पीड़ितों को प्रभावी सुरक्षा और तत्काल राहत सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रियाओं के साथ नागरिक उपचार को जोड़ता है।अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले, घरेलू हिंसा के पीड़ितों ने सिविलअदालतों का सहारा लेकर तलाक, बच्चों की हिरासत, किसी भी रूप में निषेधाज्ञा (इनजंक्शन) या भरण–पोषण जैसे सिविल उपचार की मांग की थी। इसलिए, अधिनियम ने भारतीय विधायिका में आवश्यक परिवर्तन लाए है। उक्त पंक्तियां नारी की स्थिति को सटीक चरित्रार्थ करतीं हैं कि

अपमान न कर नारीयों का

इनके बल पर जग चलता है

पुरुष जन्म लेकर इनकी गोद में पलता है

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–</u>

- पुखराज जैन,भारतीय संविधान
- घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005
  हैंडबुक (माच ृ2013)
- Dr-S-C-singhal]Human Studiमे.
- बसंती लाल बावले,20016.
- अर्चना सिंह शिक्षा के समकालीन मुद्दे
- सक्सेना , अल्का एवं गुप्ता , चन्द्र सुभाष (2011). " पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलाएं " , प्रकाशक राधा पब्लिकेन्स , 4231 / 1 अंसारी रोड दरियागंज , नई दिल्ली
- धुपकरिया , लता (2005). " महिला मानवाधिकार एवं घरेलू हिंसा अधिनियम , 2005 एक इन्द्रियानुभविक अध्ययन " अप्रकाशित शोध , समाजशास्त्र संकाय , विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन (म . प्र .) ।
- श्रीवास्तव , सुधारानी (2009). " महिला उत्पीडन और वैधानिक उपचार " , प्रकाशक अर्जुन पब्लिशिंग हाउस अंसारी रोड दरियागंज , नई दिल्ली।